

18/21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
पूर्व छांटने की पालना में

दिनांक 24.03.2021 को पेश
होने पुनः न्यायालय दफ्तर में
बार-बार आवेजें लगवायी गयीं
परन्तु अभी व उनके अधिकार
कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः



प्रस्ताव अदालत में ही। अदालत राजी
मे स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली
फैसल (मुद्रा) हो कर नम्बर की
कम हो। निर्णय सुले न्यायालय
में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

(रा.डी.ओ.) कु. भाट

राजसमन्द

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]